महत्वपूर्ण एवं खास

प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 की स्थिति में 1231 शासकीय-सार्वजनिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं तथा 154 निजी उद्योगों पर 10 लाख से अधिक बिजली बिल बकाया-बघेल

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अपने ही दल के विधायक अरूण वोरा के प्रश्नों के जवाब में बताया है कि 31 दिसंबर 2021 की स्थिति में प्रदेश में 1231 शासकीय-सार्वजनिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं तथा 154 निजी क्षेत्र के उद्योगों पर 10 लाख से अधिक बिजली बिल राशि बकाया है। मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि बकाया राशि की वसूली के लिए छग स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने हेतु प्रारंभिक नोटिस जारी किया गया तत्पश्चात बकाया राशि जमा न करने की स्थिति में 79 उपभोक्ताओं के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की गई। इसके अलावा 12 उपभोक्ताओं को बी फार्म, 21 उपभोक्ताओं को सी फार्म तथा 21 उपभोक्ताओं को आरआरसी जारी किया गया। 29 प्रकरण न्यायालय में लंबित है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त में से कुल 164 उपभोक्ताओं से 4782.95 लाख की वसूली की गई है।

नेशनल न्यूज चैनल की विज्ञापन एजेंसी दिलाने के नाम पर व्यापारी से ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। नेशनल न्यूज चैनल की विज्ञापन एजेंसी दिलाने के नाम पर व्यापारी से 1 करोड़ से अधिक रकम की ठगी करने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दे कि गिरफ्तार आरोपी का नाम अनिल नायर है। अनिल ने रायपुर शहर के कारोबारी उधम सिंह गरचा के साथ धोखाधड़ी की। इस मामले में अनिल के खिलाफ धारा

420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज कर छानबीन की जा रही थी। **यह है मामला-** रायपुर के कारोबारी उधम सिंह गरचा का शहर में एक बड़ा कॉम्पलेक्स है। इन्होंने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया है कि अनिल नायर ने खुद को न्यूज चैनल का मार्केटिंग मैनेजर बताया। अनिल और उधम रोमेंस्क्यू विला में ही रहते हैं। दोनों में पहले से ही जान पहचान थी। अनिल ने इसी का फायदा उठाया। साल 2021 में अनिल एक स्कीम को लेकर गरचा से मिला। उसने दावा किया कि न्यूज चैनल के विज्ञापन में पैसा लगाने पर वो उसे 5 से 15 प्रतिशत तक प्रॉफिट दिलवाएगा। उनकी विज्ञापन एजेंसी भी खोल दी जाएगी। गरचा राजी हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनिल ने उन्हें एग्रीमेंट के कागज और प्रॉफिट के कुछ दस्तावेजी सबूत दिखाए ताकि गरचा विश्वास कर लें। पिछले साल अप्रैल के महीने में उन्होंने अनिल नायर को 36 लाख 80 हजार रुपए दे दिए। तब अनिल ने न्यूज़ चैनल के लैटर पैड में कुछ दस्तावेज, लिखित एग्रीमेंट भी इस रकम के बदले में दिए। इसके बाद अलग-अलग एग्रीमेंट करते हुए 44 लाख 66 लाख रुपए अनिल के बताए खाते नंबर में गरचा ने भेज दिए।

इस तरह कुल 1 करोड़ से अधिक राशि नगद और चेक से दी गई। इस बीच अनिल काम शुरू करने, प्राफिट देने के नाम पर कारोबारी गरचा के साथ टालमटोल करता रहा। जब उन्हें संदेह हुआ तो अनिल के बारे में छानबीन शुरू की। कई महीनों बाद पता चला कि अनिल अभी उस न्यूज़ चैनल में काम ही नहीं करता। कुछ समय वह न्यूज चैनल के मार्केटिंग में था, लेकिन बाद में उसे निकाल दिया गया था। उसने फर्जी तौर पर चैनल का नाम, लैटरपैड इस्तेमाल कर एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि ले ली। इस वजह से दोनों के बीच विवाद भी हुआ। रकम देने को लेकर अनिल टाल-मटोल करने लगा अब मामला थाने पहुंचा है। पुलिस अनिल को पकडक़र इस पूरे फर्जीवाड़े और इसमें शामिल दूसरे लोगों के बारे में भी पूछताछ कर रही है।

प्रदेश में चलित ग्रामीण चिकित्सा इकाई व 108 संजीवनी एम्बुलेंस के अनुबंध में संबंधित फर्मों के द्वारा शर्तों का पालन नहीं किये जाने का मुद्दा सदन में उठा

नेताप्रतिपक्ष कौशिक, मोहले व डा. बांधी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाया मामला

रायपुर (आरएनएस)। विधानसभा में आज भाजपा सदस्यों ने प्रदेश में चलित ग्रामीण चिकित्सा इकाई व 108 संजीवनी एम्बुलेंस के अनुबंध में संबंधित फर्मों के द्वारा शर्तों का पालन नहीं किये जाने का मुद्दा उठाया।

ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए भाजपा सदस्यों ने विभागीय मंत्री का ध्यानाकर्षित कराते हुए कहा कि प्रदेश में चलित ग्रामीण चिकित्सा ईकाई व 108 संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस के अनुबंध में संबंधित फर्मों के द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में अनेक शिकायत होने के बाद भी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा जिन पर जांच की गई है उसमें जांच प्रतिवेदन को दबा कर रखा गया है।

भाजपा सदस्यों ने कहा कि जुलाई 2020 में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट है कि ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई की सेवा प्रदाता कंपनी, जय अंबे ईमरजेंसी सर्विसेस/ सम्मान फाउंडेशन के द्वारा 2012 पंजीकृत वाहन सीजी-04-एचडी, 7204, सीजी-04 एचडी 7212 बीजापुर, कोण्डागांव, राजनांदगांव आदि जिलों में किया जा रहा है। अनेक वाहनों ने निर्धारित 20 किमी की दूरी तय नहीं की गई है। 30 प्रतिशत ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई में निर्धारित उपकरणों का नहीं होना, कार्यरत चिकित्सा के संबंध में टीडीएस वेतन भुगतान, बैंक ट्रांसफर स्टेटमेंट, आदि में हेरा फेरी करना, कोण्डागांव के चिकित्सक डॉ. मनोज कश्यप द्वारा स्वयं के शैक्षणिक दस्तावेज न देकर डॉ. जगन्नाथ पटेल के दस्तावेज देना तथा एजेंसी द्वारा दस्तावेज किसी और के देना और कार्यरत कोई और होना जैसी अनियमितता की गई है। इन सभी अनियमितताओं में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इसी प्रकार 108 संजीवनी एक्सप्रेस में भी निर्धारित 300 की संख्या में वाहन निर्धारित समय पर उपलब्ध न कराना, निर्धारित मॉडल उपलब्ध न कराना, चिकित्सकों व मेडिकल स्टॉफ में फर्जी दस्तावेज देना, निर्धारित रिस्पांस अवधि में वाहन न पहुंचाना। ऐसी अनेक अनियमितताएं की जा रही है जिससे आम जनता में भारी रोष व्याप्त है।

सदन में स्वास्थ्य मंत्री के अनुपस्थित होने के कारण शासन की ओर से वन मंत्री मो. अकबर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह सही नहीं है कि प्रदेश में ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई व 108 संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस के अनुबंध से संबंधित फर्मों के द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा जांच प्रतिवेदन को दबा कर रखा गया है, जबकि तथ्य यह है कि ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई सेना हेतु प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुशंसा के अनुरूप सेवा प्रदाता संस्था पर अनुबंध में वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुरूप सेवा संचालन नहीं किये जाने पर संस्था को नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन हेतु कार्यवाही करते हुए पुराने वाहनों के देयकों से नियमानुसार कटौती की गई है। तथा 108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा हेतु समय-समय पर जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर की समीक्षा रिपोर्ट की अनुशंसा पर हस्ताक्षरित अनुबंध के आधार पर कुल रूपए 52, 15, 440 राशि की मासिक देयकों से नियमानुसार कटौती की गई है, तथा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाता है।

वन मंत्री ने कहा कि ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई की सेवा प्रदाता कंपनी जय अंबे ईमरजेंसी सर्विसेस/ सम्मान फाउंडेशन के द्वारा पुराने वाहनों का संचालन किये जाने पर संस्था के मासिक देयकों से नियमानुसार पेनाल्टी राशि 27,72,000 की कटौती की गई है साथ ही उक्त वाहनों को संस्था द्वारा नये वाहनों से बदला गया।

मंत्री अकबर ने बताया कि यह सही नहीं है कि कार्यरत मेडिकल स्टॉफ की जानकारी व बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं दी गई है। प्रत्येक माह कार्यरत चिकित्सकों की जानकारी व करोना वायरस महामारी के कारण बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस की जगह पर एचआर-वन के माध्यम से कर्मचारियों का अटेंडेंस लिया जाता है जो कि रियल टाईम बेस है।

उन्होंने कहा कि यह भी सही नहीं है कि 30 ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई में निर्धारित उपकरणों का नहीं होना पाया गया। जबकि तथ्य यह है कि ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई में कुल 68 प्रकार के उपकरण उपलब्ध होते हैं एवं जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा उपकरण हेतु रियेजेंट आदि प्राप्त कर सेवा का संचालन किया जा रहा है।

31 मार्च से पूर्व बकाया कर राशि जमा न करने पर बड़े बकायादारों के नाम होंगे सार्वजनिक, होगी कुर्की की कार्यवाही

आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने राजस्व वसूली कार्यप्रगति की समीक्षा की, वसूली कार्य में तेजी लाने एवं 31 मार्च तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के दिए निर्देश

कोरबा। एक लाख रूपये से अधिक राशि के बकायादारों को बकाया राशि जमा करने हेतु 31 मार्च तक का समय दिया गया है, उक्त अवधि के अंदर वे बकाया कर राशि जमा कराएं, अन्यथा उनके नाम सार्वजनिक करने के साथ ही कुर्की की कार्यवाही भी निगम द्वारा की जाएगी। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने इन बड़े बकायादारों को उक्ताशय के संबंध में नोटिस जारी करने के साथ ही वसूली कार्यो में तेजी लाने तथा 31 मार्च तक निर्धारित वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों व निरीक्षकों को दिए हैं, इस मौके पर निगम के जोन कमिश्नर भी उपस्थित थे।

यहॉं उल्लेखनीय है कि सम्पत्तिकर, समेकित कर, जलकर, भवन दुकान किराया सहित अन्य करों केमाध्यम से करदाताओं द्वारा निगम को राजस्व प्राप्त होता है, उनके द्वारा नियमित रूप से करों का भुगतान न किए जाने के परिणाम स्वरूप एक बड़ी राशि बकाया कर के रूप में निगम को प्राप्त करनी है। आज आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में जोन कमिश्नरों, राजस्व अधिकारियों एंव निरीक्षकों की बैठक लेकर राजस्व वसूली की जोनवार व वार्डवार समीक्षा की। उन्होने कोरबा, टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, पं.रविशंकर शुक्ल, बालको, दर्री, सर्वमंगला व बांकीमोंगरा जोन के सभी वार्डो की वार्डवार राजस्व वसूली व बकाया राशि की समीक्षा करते हुए वसूली की धीमी कार्यप्रगति पर नाराजगी जाहिर की तथा राजस्व प्रभारियों को वसूली कार्य में तेजी लाने एवं निर्धारित वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए।

उन्होने कहा कि एक लाख रूपये से अधिक के जिन बकायादारों द्वारा 31 मार्च के अंदर बकाया कर की राशि जमा नहीं कराई जाती, उनके नाम मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करें तथा कुर्की की कार्यवाही संपादित कराएं। इसी प्रकार जिन होटल संचालकों द्वारा बकाया कर नहीं जमा किया जा रहा है, उन्हें भी 31 मार्च तक का समय दिया गया है कि वे उक्त अवधि के अंदर बकाया राशि जमा कराएं अन्यथा होटल सील करने की कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने निर्देशित करते हुए कहा कि जोन कमिश्नर अपने जोन में समय-समय पर राजस्व वसूली की कार्यप्रगति की समीक्षा करें, राजस्व अमले पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए वसूली कार्य में तेजी लाएं। उन्होने राजस्व अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि जोन के राजस्व प्रभारी प्रतिदिन अपने जोन में वार्डवार वसूली का लक्ष्य निर्धारित करें, वसूली कार्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान कराएं तथा वार्डवार वसूली लक्ष्य को प्राप्त करें।

मुख्यमंत्री ने कोसा सिल्क की यात्रा पर प्रकाशित पुस्तक का किया विमोचन

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बघेल ने आज यहां विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में वरिष्ठ पत्रकार के. एन. किशोर एवं डॉ. राजेन्द्र मोहंती द्वारा कोसा सिल्क की पौराणिक काल से लेकर अब तक की यात्रा, कोसे की साडिय़ों और पोशाक सामग्री पर सम्पादित पुस्तक 'दि इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ कोसा' का विमोचन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा भी उपस्थित थे।

यह पुस्तक 'कोसा' रेशम के पीछे की पौराणिक कथाओं, इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति, भारत में रेशम के आगमन और विकास के बारे में बताने वाले साहित्यिक साक्ष्य और छत्तीसगढ़ में इसके आगमन के बारे में चर्चा करती है। इसके अलावा यह रेशम के उत्पादन की पारंपरिक प्रक्रिया, धागा बनाने की प्रक्रिया के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के रेशमी कपड़ों जैसे साड़ी, ड्रेस सामग्री, फर्निशिंग आदि की प्रक्रिया पर भी चर्चा करता है। साथ ही यह पुस्तक छत्तीसगढ़ के बेशकीश्रीमती हाथकरघा कोसा उत्पाद पर एक संक्षिप्त जानकारी देगी और नई पीढिय़ों के लिए ज्ञान के भंडार के रूप में उपयोगी होगी। मुख्यमंत्री बघेल ने पुस्तक के प्रकाशन पर इससे जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

होली त्यौहार एवं शब ए बरात उत्सव के मद्देनजर थाना कोतवाली परिसर में शांति समिति की ली गई बैठक

वार्ड पार्षदों एवं आम नागरिकों को होली त्यौहार शांतिपूर्वक मनाने की दी गई हिदायत

कोरबा। पुलिस अधीक्षक कोरबा भोज राम पटेल के द्वारा जिले में होली त्यौहार एवं सब ए बारात उत्सव के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सर्व थाना चौकी प्रभारी गणों को निर्देशित किया गया है। आदेश के परिपालन में 14 मार्च 2022 को नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक रामेंद्र सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली परिसर में एसडीएम कोरबा एवं तहसीलदार कोरबा की उपस्थिति में आगामी दिनों में होने वाली त्यौहार एवं शब ए बारात उत्सव 18 मार्च 2022 को होना है। जिसमें शहर के आम नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शांति समिति की मीटिंग आयोजित की गई जिसमें शहर में शांतिपूर्वक होली मनाने हेतु हिदायत दी गई साथ ही शहर के वार्ड पार्षदों एवं आम जनों को अपने वार्ड में शांतिपूर्वक होली त्यौहार मनाने हेतु समझाइश दी गई। बिना आवश्यक कार्य के रात्रि में घूमने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नहर में बहे छात्र शौर्य गुप्ता का 48 घंटे बाद मिला शव

कोरबा। बुधवारी बस्ती में गुप्ता परिवार पर होली से पहले दुख का पहाड़ टूट गया है। सरस्वती हायर सेकेंडरी विद्यालय वीआईपी रोड के छात्र शौर्य गुप्ता की कुशलता को लेकर जो कुछ सोचा जा रहा था, वैसा साबित नहीं हुआ। 48 घंटे बाद वार्ड क्रमांक 3 के अंतर्गत हसदेव बांयीतट नहर के जोड़ा पुल क्षेत्र से उसे मृत स्थिति में पाया गया। पुलिस ने पंचनामा के साथ मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गत रविवार को दोपहर एक बजे के आसपास रशियन हॉस्टल सीएसईबी के पास पांच किशोर नहाने के लिए पहुंचे थे जो अलग-अलग क्षेत्रों के रहने वाले थे। इन्हीं में शौर्य गुप्ता शामिल था। उसे तैरना नहीं आता था। इस बारे में कई बार उसके दोस्तों ने पूछताछ की थी लेकिन उसके द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई और एकाएक लबालब बह रही नहर में कूद गया। यह सब इतना जल्द हुआ कि शौर्य के द्वारा गहराई वाले स्थान पर डूबने के बारे में सहायता की अपील भी नहीं की जा सकी। आसपास के लोगों ने जब उसे डूबते देखा तो दोस्तों को बताया। करण और एक अन्य ने बचाने का प्रयास किया लेकिन बहाव काफी तेज होने के कारण उनकी कोशिश नाकाम रही। कुछ ही देर में शौर्य गुप्ता वहां से अदृश्य हो गया। उसके साथ नहाने पहुंचे किशारों ने सीएसईबी पुलिस को इसकी जानकारी दी। कुछ देर के बाद गोताखोरों और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम के द्वारा यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यहां भी तकनीकी दिक्कतें पेश आई। सोमवार को आपदा प्रबंधन ने तेज बहाव के कारण हो रही परेशानी को लेकर प्रशासन से चर्चा की और नहर का गेट बंद कर पानी का बहाव डायवर्ट करने को कहा था। 12 घंटे बीतने के बाद आखिरकार नतीजे आए लेकिन शौर्य को जीवित नहीं पाया जा सका। आज सुबह राताखार में नहर क्षेत्र के आसपास लोगों द्वारा निगरानी की जा रही थी। इस दौरान उन्होंने जोड़ा पुल के पास शव को देखा। कुछ ही देर में इसकी शिनाख्त शौय गुप्ता के रूप में कर ली गई। पुलिस ने आनन-फानन में पंचनामा की प्रक्रिया पूरी कर मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज

पानी पाइप लाइन को तोड़कर चोरी करने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार

कोरबा। कुसमुंडा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति करने बिछे पाइप लाइन को अज्ञात बदमाशों ने पार कर दिया। इससे कालोनी परिसर में पेयजल आपूर्ति ठप पड़ गई। सुरक्षा विभाग द्वारा मामले की रिपोर्ट लिखाए जाने पर पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर सामान जब्त किया।

जानकारी के अनुसार साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड एसईसीएल की कुसमुंडा में पदस्थ प्रधान सुरक्षा प्रहरी ने लिखित में आवेदन दिया कि सोमवार को सुबह 6.30 बजे पानी फिल्टर प्लांट में ड्यूटी पर उपस्थित कर्मचारी द्वारा पानी पाइप की चोरी करने के संबंध में बताया। तब कर्मियों के साथ स्थल जाकर निरीक्षण करने पर अज्ञात बदमाशों द्वारा करीब 20 इंच वाला 30 मीटर व 16 इंच वाला 40 मीटर को पाइप काट कर चोरी करने की जानकारी मिली। इससे कुसमुंडा क्षेत्र में पानी सप्लाई बाधित हो गई, साथ ही पाइप लाईन को तोडऩे से एसईसीएल कुसमुंडा को क्षति पहुंची। मामले में पुलिस ने मुखबिर को सक्रिय कर विवेचना शुरू की। संदेह के आधार पर नवाज अली 30 वर्ष निवासी मदरसा लाईन, विकासनगर, तुलसी साव 46 वर्ष निवासी इमलीछापर, बीरू कुमार साव 22 वर्ष निवासी इमलीछापर, रमेश चौहान 40 वर्ष निवासी चैतमा हाल मुकाम खम्हरिया, रामशरण साहू 36 वर्ष निवासी इमलीछापर से कड़ाई से पूछताछ की। तब सभी ने पाइप चोरी करना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पांच प्लास्टिक की बोरियों में भरा 230 किलोग्राम पाइप का टुकड़ा व पाइप तोडऩे में प्रयुक्त एक लोहे का घन व दो लोहे का गैती जब्त किया गया। आरोपितों के विरूद्ध धारा 379, 427, 34 व लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

सरकार तुंहर द्वार कार्यक्रम: समाधान शिविर में एक ही दिन में लगभग पांच हजार से अधिक लोगों को विभिन्न सेवाओं का मिला लाभ

कोरबा। सरकार तुंहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत अजगरबहार में वृहद समाधान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में एक ही दिन में लगभग पांच हजार से अधिक लोगों को फौती, नामांतरण, राशन कार्ड, पेंशन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि शिविर स्थल में ही बनाकर ग्रामीणों को दी गई। समाधान शिविर के माध्यम से ग्रामीणों के राशन, पेंशन, मजदूर कार्ड आदि से संबंधित लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया गया। शिविर के पहले नागरिको से उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए गए थे। आवेदनों के निराकरण पश्चात सेवाओं के दस्तावेजों को शिविर स्थल में ही ग्रामीणों को दिए गए। समाधान शिविर में अजगरबहार क्लस्टर के अंतर्गत 19 ग्राम पंचायतों के नागरिकगण सेवाओं का लाभ लिए। शिविर में 22 विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। शिविर स्थल में राजस्व विभाग के अंतर्गत मुआवजा प्रकरण, वनाधिकार पट्टे का वितरण, फौती नामांतरण, किसान किताब, सीमांकन एवं डिजिटल हस्ताक्षरित बी-1 वितरण आदि 1327 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिला पंचायत मनरेगा के अंतर्गत 531 हितग्राहियों का जॉब कार्ड बनाकर दिया गया। 7 महिलाओं को मातृत्व भत्ता दिया गया।

इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 64 हितग्राहियों को शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि दी गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा 468 हितग्राहियों को दिव्यांग उपकरण, पेंशन, जन्म - मृत्यु प्रमााण पत्र एवं दिव्यांग सहायता योजना अंतर्गत लाभांवित किया गया। खाद्य विभाग अंतर्गत 489 हितग्राहियों के नवीन राशन कार्ड, राशन कार्ड में संशोधन एवं दिव्यांग, बुजुर्गो का राशन कार्ड निर्माण किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 81 दिव्यांगता प्रमाण पत्र, 589 हितग्राहियों को सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण किया गया। साथ ही गंभीर रूप से बीमार मरीजों का भी चिन्हांकन किया गया। आदिवासी विभाग अंतर्गत 48 विद्यार्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र वितरित किया गया।

श्रम विभाग के अंतर्गत 359 हितग्राहियों का ई-श्रम कार्ड बनाया गया। उद्यानिकी विभाग अंतर्गत 90 किसानों को जायद फसल के लिए सब्जी सीडलिंग का वितरण किया गया। कृषि विभाग द्वारा 486 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, पावर वीडर, पंप, स्प्रेयर, वर्मी कम्पोस्ट, मक्का बीज एवं मिनी राइस मिल का वितरण किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा 313 जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, 15 बच्चों को आवश्यक उपकरण एवं 66 छात्राओं को सरस्वती सायकल वितरण किया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU